

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्धारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सीआईआर/946

13/01/2025

प्रति.

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य/ सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना (आईईआईएस) के अंतर्गत अनुपूरक दावों का प्रस्तुतीकरण

संदर्भ: कार्यालय अपर डीजीएफटी, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 10.01.2025 का ट्रेड नोटिस 02/एएम 25

हम आपको वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना (IEIS) के अंतर्गत लंबित दावों के प्रसंस्करण के संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी उपर्युक्त व्यापार नोटिस के बारे में सूचित करना चाहते हैं।

अधिसूचना संख्या 43 दिनांक 25.09.2013 के अंतर्गत लगाई गई सीमा के संबंध में डीजीएफटी मुख्यालय से प्राप्त अनुदेशों के संबंध में, अतिरिक्त डीजीएफटी कार्यालय, नई दिल्ली वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना (आईईआईएस) के अंतर्गत लंबित दावों पर कार्रवाई कर रहा है।

सभी पात्र निर्यातक जिनके शेष दावे अधिसूचना संख्या 43 दिनांक 25.09.2013 द्वारा लगाई गई सीमा के कारण रोक दिए गए थे, उन्हें अपने पूरक आईईआईएस दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

प्रस्तुतिकरण के लिए मुख्य दिशानिर्देश:

- 1. **पात्रता:** केवल वे निर्यातक आवेदन करने के पात्र हैं जिनके दावे आंशिक रूप से संसाधित किए गए थे या केवल अधिसूचना संख्या 43 दिनांक 25.09.2013 के तहत लगाई गई सीमा के कारण रोक दिए गए थे।
- प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: पूरक IEIS दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। 31 जनवरी 2025 के बाद प्रस्तुत किए गए दावे सामान्यतः स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस तिथि तक प्रस्तुत नहीं किए गए दावे वापस लिए गए माने जाएंगे।

3. **प्रस्तुत करने का तरीका**: आवेदन पत्र को सभी अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ भौतिक रूप से या ईमेल के माध्यम से अतिरिक्त डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए आवेदक अतिरिक्त डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली के कार्यालय से <u>cladelhi-dgft@nic.in</u> पर संपर्क कर सकते हैं।

अतिरिक्त डीजीएफटी, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण व्यापार नोटिस पर ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई करें।

आपके संदर्भ हेतु व्यापार नोटिस की प्रति संलग्न है।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद